


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म कार्यवाही मय इनिशयल्स जज</p>	<p>नमबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>15.7.17</p>	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान-फालोआप केम्प मे अटल सेवा केन्द्र सडा में पेश हुई। प्रार्थी पक्ष की तरफ से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार सिणधरी उपस्थित। विप्रार्थीगण एकरतफा। प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि आवेदन में निम्नांकित रकबे का मौके पर आमजन द्वारा आने जाने हेतु रास्ते में उपयोग लिया जा रहा है। जबकि राजस्व रिकोर्ड में भूमि निजी खातेदारी के खातें मे दर्ज है। कि उक्त आवेदन मे उल्लेखित रकबे को गैर मुमकिन रास्ते में दर्ज करवाने का आदेश फरमावे।</p> <p>हमने प्रार्थी को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें पाया कि आवेदन में उल्लेखित रकबा निजी खातेदारो के खाते मे दर्ज है। जबकि प्रस्तावित रकबे का गैर मुमकिन रास्ते में उपयोग हो रहा है। और विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामील के हाजिर नही हुए है। इससे प्रतीत होता है,कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किये जाने मे उनकी मौन स्वीकृति है। इस प्रकार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनवाया गया और शामिल पत्रावली किया गया।</p> <p>आदेश मजमे आम सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी तमणधरा </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ)सिणधरी

(पीठीसीन अधिकारी लोक अदालत/ फालोऑप केम्प कोर्ट) केम्प-अटल सेवा केन्द्र सड़ा

क्रमांक: /राजस्व/2017/678

दिनांक:- 15.7.2017

मु.सं:-70/17

--:आदेश:-

श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांक:प.12(1)राजस्व/2016/7205-40 दिनांक 10.10.2016 प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है। कि राजस्व ग्राम डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला कलां तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2070-2073 के अनुसार निम्नांकित भूमि निजी खातेदारी मे दर्ज है। लेकिन मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है, जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

भूमि धारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (गुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 60(एच) के तहत राजस्व ग्राम डाबली नाडी पटवार मण्डल पायला कलां तहसील सिणधरी की निम्नांकित प्रस्तावित रकबे को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी मे रहेगा। परंतु नक्शे में जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जायेगी। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

क्र. स.	खातेदार का नाम	ख.न.	कुल रकबा (बीघा)	किस्म	रास्ते हेतु मौके अनुसार प्रस्तावित भूमि		लम्बाई व चौड़ाई गट्टों में	
					रकबा	किस्म	लम्बाई	चौड़ाई
1	टीकूराम गोदपुत्र गुमनाराम कौम जाट सा. देह	231	47-02	बा.दो.	0-19	गै.मु. रास्ता	12	4
				बा.दो.			153	2
2	खरताराम वल्द पोकराराम कौम जाट सा.देह	228	16-19	बा.दो.	0-02	गै.मु. रास्ता	30	2
				बा.दो.			122	2
		230	11-05	बा.दो.	0-13			



क्रमांक: /राजस्व/2017/679-80

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ।

1. श्रीमान जिला कलक्टर,बाड़मेर।
2. तहसीलदार सिणधरी।

(नाथुसिंह राठौड़)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

दिनांक 15.7.2017

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी